



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

E-mail : hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट : www.ptcul.org

पत्रांक : 1401/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-8

दिनांक : 08.08.2024

कार्यालय-ज्ञाप

संज्ञान में आया है कि कतिपय खण्डों/कार्यालयों द्वारा कारपोरेशन में चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नियमों का समुचित रूप से संज्ञान लिए बिना ही कार्मिकों, उन पर आश्रितों तथा पारिवारिक पेशानरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही बाह्य रोगी के रूप उपचार से सम्बन्धित आदेश संख्या 2088/NG/II/SEB(IV)-29NGII/7 8 दिनांक 24.05.1978, उपाकालि आदेश संख्या 5731/निदे०(मा०सं०)/उपाकालिअनु०-का०ई०/एम-दिनांक 22.08.2006 एवं कारपोरेशन आदेश संख्या 224/मा०सं०एवंप्र०वि०/पी-05 दिनांक 22.02.2010 में बाह्य रोगी के मामलों में नियत सुसंगत आदेशों में उल्लेखित रोगों के इतर भी प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जा रही है जिसके संज्ञान में आने पर आदेश में संशोधन/सम्बन्धित कार्मिकों से प्रत्याप्ति की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जोकि उचित कार्यप्रणाली नहीं है तथा जिसे प्रबन्धन भी द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रकरण में सम्बन्धित नियमों/उपनियमों का अनुपालन पूर्ण रूप से कर लिया गया है तथा उक्त प्रतिपूर्ति की धनराशि कारपोरेशन नियमानुसार सही पायी गयी है, जिससे चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण हो जाने के उपरान्त कोई विसंगति उत्पन्न न हो तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने के उपरान्त कार्मिक के विरुद्ध प्रत्याप्ति की स्थिति न बन पाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1401/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-8 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ० निदेशक(मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त) को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/ महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. आहरण वितरण अधिकारी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल को इस आशय के साथ प्रेषित कि विषयगत आदेश कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(ए०के जुयाल)

महाप्रबन्धक (मा०सं०)(ओ०)